



UPRB040005461999

न्यायालय ,

पीठासीन अधिकारी- (कामायनी दुबे), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02280

वाद सं०-1964/2006

शासन..अभियोगी

बनाम

1.शत्रोहन आयु-50 साल पुत्र स्व० बिरजू

2.बाबू लाल पुत्र शीतल पासी (मृतक)

3.राम नरेश उर्फ नरेश आयु-45 साल पुत्र स्व० हीरालाल

समस्त निवासीगण ग्राम-ककुलत का पुरवा, मजरे-जगदीशपुर,

थाना-शिवगढ़, जिला-रायबरेली..... अभियुक्तगण

अपराध संख्या-124/1996

धारा-380 व 457 भा०दं०सं०

थाना-शिवगढ़, जिला-रायबरेली ।

निर्णय

अभियुक्तगण शत्रोहन, बाबू लाल व राम नरेश उर्फ नरेश का विचारण भा०दं०सं० की धारा-380 व 457 के अन्तर्गत पुलिस थाना-शिवगढ़, जिला-रायबरेली द्वारा वाद सं०-1964/2006, अपराध संख्या-124/1996 में विवेचनोपरान्त प्रस्तुत आरोपपत्र के आधार पर किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-24/25.09.1996 की रात्रि शत्रोहन पुत्र बिरजू पासी, बाबूलाल पासी पुत्र शीतल पासी व नरेश पुत्र होरी लाल पासी ग्राम-कोकलत का पुरवा, मजरे-राजापुर ने वादिनी मुकदमा के घर में घुस कर 2500/-रुपया, साड़ी, दो जोड़ झुमकी, कमर की पेटी, नाक की नथुनी, पायल, गले का हार, बैंक की पासबुक तथा अन्य घरेलू सामान की चोरी की।

वादिनी मुकदमा की इस सूचना पर थाने पर वाद सं०-1964/2006 धारा-308, 457 भा०दं०सं० अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचनाधिकारी ने न्यायालय के आदेश पर प्रकरण की विवेचना की, दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण किया, नक्शा नजरी बनाये तथा गवाहानात के बयान अंकित किया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा-380, 457 भा०दं०सं० साबित पाकर, आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

अभियुक्तगण हाजिर अदालत आये तथा अपनी-अपनी जमानतें करायी। अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा दिनांक-04.07.2003 को धारा-380, 457 भा०दं०सं० के आरोप से आरोपित किया गया। जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा विचारण की याचना की।

अभियोजन की तरफ से अपने कथन के समर्थन में पी० डब्लू०-1 बाबूलाल शुक्ला तथा पी०डब्लू०-2 सरोजनी पाण्डेय को परीक्षित कराया है। अन्य कोई गवाह पेश नहीं किया गया। तथ्य के अन्य गवाहान को अभियोजनपक्ष के द्वारा प्रार्थनापत्र देकर साक्ष्य से उन्मोचित करा लिया गया है।

अभियुक्तगण की तरफ से अभियोजन प्रपत्रों की यथार्थता को स्वीकार किया गया है। अतः औपचारिक साक्षीगण तलब नहीं किये गये हैं।

अभियुक्तगण के बयान धारा-313 दं०प्र०सं० के तहत दिनांक-19.12.2019 को अंकित किया गया। उन्होंने गवाहान द्वारा गलत गवाही दिये जाने का कथन किया है तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। बहस के स्तर पर अभियुक्तगण द्वारा धारा 437-ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में जमानतें प्रस्तुत की गयी।

एन०बी०डब्लू० तामीला आख्या एवं ग्राम प्रधान जगदीश पुर के द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के

आधार पर अभियुक्त बाबू लाल के विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी ।

निष्कर्ष

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण शत्रोहन, बाबूलाल पासी व रामनरेश उर्फ नरेश पर यह आक्षेप लगाया गया है कि उन्होंने दिनांक-24/25.09.1996 की रात्रि को वादिनी श्रीमती सरोजनी पाण्डेय के घर में घुसकर 2500/-रूपया, साड़ी, दो जोड़ झुमकी, कमर की पेटी, नाक की नथुनी, पायल, गले का हार, बैंक की पासबुक तथा अन्य घरेलू सामान चोरी की ।

यह उल्लेखनीय है कि आपराधिक मामलों के विचारण में अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति-युक्ति सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष का होता है । अतः प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को युक्ति-युक्ति सन्देह से परे यह साबित करना है कि कथित घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी है ।

पत्रावली पर अपने अभिकथनों के साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा पीडिता/वादिनी मुकदमा श्रीमती सरोजनी पाण्डेय को साक्षी पी०डब्लू०-1 के रूप में परीक्षित कराया गया है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण-रूपेण समर्थन किया है तथा साक्षी द्वारा अपनी जिरह में सशपथ यह कथन किया गया है कि "चोरी मेरे यहां भादों के महीने में हुई थी । मैं घर के अन्दर लेटी थी, रात्रि में दो-ढाई बजे का समय रहा होगा, जब मैंने खट-खटाहट की आवाज सुनी थी । मैं उठ के बैठ गयी थी । टॉर्च लिया था, मैंने देखा कि शत्रोहन, बाबूलाल व नरेश चोरी का सामान ले जा रहे थे । मैंने इन चोरों को पकड़ने का प्रयास नहीं किया क्यों कि मेरे बच्चे छोटे-छोटे थे और घर में कोई पुरुष नहीं थे । मैंने बाहर आवाज लगायी तब तक चोर बाहर निकल गये थे और लोगों के आ जाने के कारण बाग के बाहर नलकूप के पास, सामान बहाकर भाग गये थे, मेरे शोर पर गांव के जगत नारायण, दुर्गाशंकर अवस्थी तथा सत्य नारायण बाजपेयी आदि लोग आ गये थे । मैंने इन सभी लोगों को बताया कि फला-फला मुल्जिमान मेरे घर से सामान चुराकर भागर रहे हैं । गांव के लोगों ने पीछा किया । आगे और पीछे दोनों तरफ से पीछा किया, तब मुल्जिमान चोरी किया गया सामान फेंककर अरहर के खेत में घुस गये । गांव के लोगों ने अरहर का खेत नहीं घेरा था । गांव के दो लोग, जब मुल्जिमान ने सामान फेंका था, वहां पर खड़े थे और दो लोग मुझको बताने आये थे, तब मैं मौके पर गयी थी और खाली बक्सा लेकर आयी थी ।"

पुनः इस साक्षी ने अपनी जिरह के द्वितीय पैरा में सशपथ यह कथन किया है कि "चोरी में मेरे गले का हार, एक तोले की झुमकी, तीन पाव की करधनी, एक पाव का पायल, छः सौ की साडिया, एक कम्बल, ऊनी चद्दर, एक तोल गिलास, पचीस सौ रूपये, बैंक की पासबुक, आदि चोरी हो गया था । यह सारा चोरी किया सामान मैंने रिपोर्ट में लिख दिया था । थाने में दी गयी रिपोर्ट को मैंने अपने लड़के श्रवण कुमार से लिखायी थी । श्रवण कुमार ने जो रिपोर्ट में जो बोलकर लिखाया था । उसमें मैंने लिखा दिया था कि मैंने टॉर्च की रोशनी में मुल्जिमान शत्रोहन, बाबूलाल व रामनरेश को देखा था । अगर यह बात मेरी रिपोर्ट में नहीं लिखी है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती ।"

पुनः इस साक्षी ने अपनी जिरह के द्वितीय पृष्ठ पर पुनः यह कथन किया है कि "दरोगा जी को मैंने बता दिया था कि टॉर्च की रोशनी में मैंने मुल्जिमानों को देखा था। अगर दरोगा जी ने नहीं लिखा तो उसकी वजह मैं नहीं बता सकती । यह कहना गलत है कि मैंने मुल्जिमान शत्रोहन, बाबूलाल व राम नरेश को चोरी करते अपनी आंखों से नहीं देखा था बल्कि अपने दामाद दुर्गाशंकर अवस्थी और जगत नारायण अवस्थी के कहने से मुल्जिमान का नाम मुकदमे में लिखा दिया था।"

इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है किन्तु अपनी प्रति परीक्षा में इस साक्षी द्वारा सर्वप्रथम यह कहा गया कि लोगों के आ जाने के कारण अभियुक्तगण बाग के बाहर सामान बहाकर भाग गये थे, दूसरी ओर अपनी जिरह में यह कहा गया है कि अरहर के खेत में जहां मुल्जिमानों ने चोरी का सामान फेंक दिया था । वहां मौजूद दो लोग द्वारा उसे इस तथ्य को बताया गया और तत्पश्चात् वह मौके पर गयी थी और खाली बक्सा लेकर आयी थी । इस प्रकार वादिनी मुकदमा द्वारा अपने स्वयं के बयान में विरोधाभासी कथन किया गया है ।

पत्रावली पर अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०-2 बाबूलाल शुक्ला को परीक्षित कराया गया, यह साक्षी औपचारिक गवाह है । इसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन प्रपत्रों यथा नक्शा - नजरी, तहरीर, आरोपपत्र को प्रमाणित किया है, तदनुसार जिस पर प्रदर्श अंकित किया गया । इस साक्षी ने

अपनी जिरह में सशपथ यह कथन किया है कि “चोरों को सब से पहले जगत नरायन ने देखा था, जगत नरायन पाण्डे का नलकूप कहां पर है, उसको नक्शा नजरी में प्रदर्शित नहीं किया है। नामजद अभियुक्तों के पास कोई बरामदगी नहीं हुई थी।”

पत्रावली पर अपने अभिकथनों के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी सी०डब्लू०-1 सत्य नरायन बाजपेयी को परीक्षित कराया गया है, इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किया गया है। अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा उक्त साक्षी को प्रति परीक्षा का अवसर प्रदान किया गया परन्तु प्रति परीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे अभियोजन कथानक को बल मिलता हो।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण पर धारा-380, 457 भा०दं०सं० के अपराध का आरोप है। इस सन्दर्भ में वादिनी मुकदमा द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०-1 अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है किन्तु अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी के बयान में आये तात्विक विरोधाभास की पुष्टि हेतु किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। प्रस्तुत वाद में तीन चश्मदीद गवाह थे, जिन्हें अभियोजन द्वारा उन्मोचित करा लिया गया। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी सी०डब्लू०-1 सत्य नरायन बाजपेयी पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस प्रकार बतौर साक्षी पी०डब्लू०-1 वादिनी मुकदमा के कथन की सम्पुष्टि में कोई सुसंगत साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन अभियुक्त शत्रोहन एवं रामनरेश उर्फ नरेश के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा-380, 457 के अपराध को युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण उपरोक्त की जमा तलाशी में कथित चोरी गये सामान की बरामदगी भी नहीं हुई है, इससे भी प्रश्नगत घटना संदिग्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण उपरोक्त भा०दं०सं० की धारा-380, 457 के अपराध से दोष-मुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण शत्रोहन व राम नरेश उर्फ नरेश वाद संख्या-1964/2006, मुकदमा अपराध संख्या-124/1996 अन्तर्गत धारा-380, 457 भा०दं०सं० थाना-शिवगढ़, जनपद-रायबरेली के अपराध से दोष-मुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437-ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में पूर्व में दी गयी जमानत को 6-6 माह तक बढ़ाते हुए, अभियुक्तगण से बीस-बीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल कराया जाय।

दिनांक:-04.02.2020

(कामायनी दुबे)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
कोर्ट नम्बर-17, रायबरेली।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक:-04.02.2020

(कामायनी दुबे)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
कोर्ट नम्बर-17, रायबरेली।